



गुना के नामी स्कूलों में नियमों की अनदेखी!

बिना लाइसेंस-हेलमेट फर्राटा भर रहे छात्र, प्रबंधन और पुलिस मौन

नवभारत न्यूज
गुना 11 दिस. का। शहर के बड़े और प्रतिष्ठित स्कूलों के प्रबंधन और शिक्षक, जो छात्र-छात्राओं को संस्कारी बनाने और उच्च शिक्षा का ढिंढोरा पीटते हैं, वे ही उन्हें सबसे बुनियादी यातायात नियमों का पालन करना नहीं सिखा पा रहे हैं। चिंताजनक बात यह है कि ये स्कूल अपने आंतरिक नियमों को सख्ती से लागू करते हैं, लेकिन सड़कों पर छात्रों द्वारा की जा रही यातायात नियमों की खुलेआम अनदेखी पर पूरी तरह मौन हैं।

गुना के अधिकांश स्कूलों छात्र-छात्राएँ अब या तो दोपहिया वाहन से आते हैं, या उनके परिजन उन्हें चारपहिया वाहन से छोड़ने/लेने आते हैं। बावजूद इसके, गुना के बड़े से बड़े स्कूलों के बच्चे न तो हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और न ही उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है। शहर का एक नामी स्कूल तो एबी रोड जैसे व्यस्त मार्ग पर स्थित है, जहाँ दुर्घटना की आशंका सबसे अधिक रहती है। लेकिन, चूँकि इस स्कूल में अधिकारी,



जनप्रतिनिधि और धनासेओं के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए ट्रैफिक पुलिस भी इन छात्रों पर सख्ती से कार्रवाई करने से बचती है। पुलिस की खानापूर्ति, अभिभावकों की बेफिक्री पुलिस कभी-कभार हनुमान चौराहा या जयस्तंभ चौराहे पर प्वाइंट लगाकर बच्चों को डॉट-फटकार लगा देती है, लेकिन मुख्य समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। अभिभावकों को बुलाकर यह नहीं समझाया जाता कि बच्चों के लिए लाइसेंस बनवाना और हेलमेट पहनना अनिवार्य है। हाल ही में 10 दिसंबर को ही पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर हेलमेट और तीन सवारी बैठाने वालों पर

कार्रवाई का अभियान खत्म हुआ है। इस अभियान के तहत आम लोगों के चालान तो बनाए गए, लेकिन भविष्य की चाबी माने जाने वाले स्कूली बच्चों को छोड़ दिया गया। यह विचारणीय प्रश्न है कि जिन स्कूलों में उच्च शिक्षा देने का दावा किया जाता है, वे बच्चों को सड़क सुरक्षा की शिक्षा क्यों नहीं दे पाते?

16 साल में भी बन सकता है ड्राइवल मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के अनुसार, सामान्यतः ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए 18 साल की उम्र पूरी तरह से होनी चाहिए। हालाँकि, एक्ट में एक खास प्रावधान है। मोटर व्हीकल एक्ट



1988 के तहत, 16 साल की उम्र में भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ खास शर्तें शामिल हैं। इस लाइसेंस को लेने के बाद व्यक्ति केवल 50 सीसी या उससे कम सीसी की बिना गियर वाली बाइक/स्कूटी ही चला

सकता है। अन्य वाहन चलाने के लिए उसे 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद लाइसेंस को अपडेट करवाना पड़ेगा। इस लाइसेंस को बनवाने की प्रक्रिया सामान्य ड्राइविंग लाइसेंस (लर्नर लाइसेंस) बनवाने के समान ही होती है।

जागरूकता के बावजूद चिंताजनक हालात
हेरान करने वाला तथ्य यह भी है कि ट्रैफिक विभाग और यहाँ तक कि पुलिस अधीक्षक द्वारा भी समय-समय पर स्कूलों में जाकर बच्चों को यातायात नियमों का पालन करने और अभिभावकों को समझाए देने के लिए जागरूक किया जाता रहा है। इसके बावजूद, सबसे ज्यादा चिंताजनक हालात स्कूली छात्र-छात्राओं द्वारा ही यातायात नियम तोड़ने के सामने आते हैं। गुना के बड़े स्कूलों के बाहर बच्चों को बिना हेलमेट और तीन सवारी बैठाकर अल्ट्राइड तरीके से घूमते-फिरते देखा जा सकता है।



सांसद खेल महोत्सव एवं गीता जयंती समापन समारोह, कलेक्टर ने ली समीक्षा बैठक

नवभारत न्यूज
गुना। आगामी सांसद खेल महोत्सव एवं गीता जयंती के समापन समारोह को सुव्यवस्थित और प्रभावी ढंग से आयोजित करने के उद्देश्य से कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने आज एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में कार्यक्रम स्थल की समग्र व्यवस्थाओं, मंच प्रबंधन, अतिथियों के आगमन की रूपरेखा, सुरक्षा व्यवस्था तथा कार्यक्रमों के क्रमबद्ध संचालन पर विशेष ध्यान दिया गया। कलेक्टर कन्याल ने निर्देश दिए कि मंच की व्यवस्था आकर्षक एवं व्यवस्थित रहनी चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से जोर दिया कि अतिथि उद्बोधन, गीता जयंती से संबंधित शंखनाद, तिलक एवं मंत्रोच्चारण, और पुरस्कार वितरण जैसे प्रमुख कार्यक्रमों का संचालन समयबद्ध और मर्यादित

तरीके से सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने कार्यक्रम स्थल पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश देते हुए पाकिंग व्यवस्था, दर्शकों के बैठने की व्यवस्था, विद्युत एवं साउंड सिस्टम की गुणवत्ता, आपातकालीन आवश्यकताओं के प्रबंधन और प्रवेशनिर्वास प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की। इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह सिकरवार, नगर पालिका अध्यक्ष सविता गुप्ता, सांसद प्रतिनिधि हरिसिंह यादव, सीईओ जिला पंचायत अधिष्ठाक दुबे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मानसिंह ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी संबंधित विभागों को कलेक्टर के निर्देशों के अनुसार तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए कहा गया है।

आरोन कृषि उपज मंडी में वेतन वृद्धि की मांग पर अड़े हम्माल



आरोन। कृषि उपज मंडी में कार्यरत हम्मालों (कामगारों) ने अपनी मांगों को लेकर आज 11 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। हम्मालों की मुख्य मांग हर साल 10 प्रतिशत वेतन वृद्धि और चक्रवृद्धि वेतन की गारंटी है। हड़ताल के चलते मंडी का सारा कामकाज

और से बाहर से लेकर लाकर काम करने की बात कही जा रही है, लेकिन वे नियमानुसार मजदूरी में बढ़ोतरी करने को तैयार नहीं हैं। इसी कारण सभी हम्माल आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल का सीधा असर मंडी पर दिख रहा है। इन दिनों मंडी में मक्का की बंपर आवक हो रही है, लेकिन तुलाई और लवाई का काम पूरी तरह से ठप हो गया है। काम ठप होने के कारण किसान अपनी फसलों समय पर नहीं बेच पा रहे हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान और व्यापारी दोनों ही जल्द से जल्द इस गतिरोध के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं।

एनएफएल क्षेत्र में 11 महीने बाद फिर तेंदुआ की दहशत, अकेले न जाएं कर्मचारी

गुना। जिले के राधोगढ़ क्षेत्र में स्थित नवरत्न कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) परिसर में 11 महीने बाद एक बार फिर तेंदुआ दिखाई दिया है। एनएफएल की सुरक्षा करने वाले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने तेंदुआ को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है। राधोगढ़ वन विभाग ने तेंदुआ होने की पुष्टि करते हुए एनएफएल महाप्रबंधक को पत्र लिख दिया है। जिसमें कहा गया है कि प्रबंधन अपने कर्मचारी, श्रमिकों और उनके परिवारों को इस बारे में सूचना दे और यह सुनिश्चित किया



जाए कि कोई भी व्यक्ति परिसर के जंगल, पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्र में अकेले न जाए। अगर बहुत जरूरी काम हो तो समूह में लोग जा सकते हैं, जिससे तेंदुआ के हमला करने की संभावना कम हो सकती है। साथ ही किसी को तेंदुआ नजर आने पर तुरंत विभाग तक सूचना पहुंचाने के लिए कहा गया है, ताकि उसे रेस्क्यू किया जा सके। इस पत्र के बाद एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एनएफएल प्लांट परिसर में तेंदुआ सड़क के बीचों-बीच टहलता दिखाई दे रहा है।

एक महीने तक तेंदुए की दहशत एनएफएल और नजदीकी गेल परिसर में देखी गई थी। हालाँकि कई दिनों की जहोड़हट के बाद नेशनल पार्क शिवपुरी से आई टीम ने तेंदुए को रेस्क्यू कर लिया था। एनएफएल और गेल के चारों तरफ जंगली क्षेत्र स्थित है, जहाँ से वन प्रणाली पानी की तलाश अथवा किसी शिकार का पीछा करते हुए इस कॉमर्सियल क्षेत्र में पहुंच रहे हैं।

मांग संगठन जिला प्रशासन के पास लेकर पहुंचा, मुक्ति प्रमाण पत्र बनवाने की मांग

सिंगवासा के सहरिया परिवार को बारां जिले में बनाया बंधक!



गुना। जिले का प्रशासन चंचौड़ा, राधोगढ़ और कुंभराज तहसीलों में मध्यप्रदेश सहित दूसरे राज्यों को मुक्त कराने की जहोड़हट में लगा रहा, वहीं गुना जिले के 4 बंधुआ मजदूर राजस्थान में 10 सालों से दबंगों के चंगुल में फंसे हुए थे। यह चौंकाने वाला दावा किया है कि पीड़ित युवा मंडल नामक संगठन ने।

है कि निपानिया निवासी सुरेश धाकड़ चारों को कहीं आने-जाने नहीं दे रहा था, और भागने की कोशिश करने पर उनके साथ मारपीट भी की जाती थी। पीड़ित युवा मंडल ने तुरंत बारां जिले की छबड़ा तहसील एसडीएम को पूरी जानकारी दी। छबड़ा एसडीएम ने मामले को गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू की। पीड़ित युवा मंडल की पहल और छबड़ा प्रशासन की कार्रवाई के परिणामस्वरूप, बंधुआ मजदूर भैयालाल पुत्र कन्नू सहरिया, फूला बाई सहरिया, जानू सहरिया और नंदनी सहरिया को सुरेश धाकड़ के चंगुल से मुक्त करा लिया गया। एसडीएम से मांगी मदद चारों मजदूरों को मुक्त कराने के

बाद पीड़ित युवा मंडल ने एक नई समस्या को उठाया है। संगठन का कहना है कि छबड़ा प्रशासन ने चारों को मुक्त तो करा लिया है, लेकिन उन्हें मुक्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, जो कि बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास और सरकारी लाभ के लिए आवश्यक होता है। इसको लेकर पीड़ित युवा मंडल ने गुरुवार को एसडीएम कार्यालय, गुना में पहुंचकर मामले की पूरी जानकारी दी और जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। संगठन ने मांग की है कि छबड़ा एसडीएम से संपर्क कर गुना तहसील के चारों पीड़ित बंधुआ मजदूरों को शीघ्रता से मुक्ति प्रमाण पत्र दिलाया जाए, ताकि उन्हें न्याय और सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

जिले में यात्री बसों पर शिकंजा, दो जब्त, 63 हजार का लगाया जुर्माना

गुना। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के सख्त निर्देश पर जिले में यात्री बसों के खिलाफ जांच और कार्रवाई लगातार जारी है। नियमों का उल्लंघन करने वाली दो यात्री बसों को जब्त किया गया है, जबकि अन्य पाँच बसों पर 63,000 का जुर्माना लगाया गया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी

ज्ञानेंद्र वैश्य ने बताया कि आज बजरंगगढ़-आरोन मार्ग पर चल रही लगभग 15 यात्री बसों की सघन जांच की गई। इस दौरान बसों में परमिट, फिटनेस प्रमाण पत्र, फायर फाइटर (अग्निशमन यंत्र), और फर्स्ट एड किट आदि का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान, बस क्रमांक एमपी 13 जेड

आर 8714 और एमपी 08 पी 0549 बिना वैध परमिट के चलते पाई गईं। नियमों के उल्लंघन के चलते इन दोनों बसों को जब्त कर बजरंगगढ़ और आरोन थाने में खड़ा कराया गया है। इसी प्रकार, अन्य 05 बसों पर विभिन्न अनियमितताओं के लिए कुल 63,000 की चालानी कार्रवाई की गई। ज्ञानेंद्र वैश्य ने बताया कि आज की गई कार्यवाही के दौरान बस ड्राइवर और कंडक्टरों को

यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने की सख्त समझाए भी दी गई।

नव भारत

श्री प्रफुल्ल कुमार माहेश्वरी नवभारत चैरीटेबल ट्रस्ट द्वारा जस्वरतमंद मेधावी बच्चों को फ्री कम्प्यूटर प्रशिक्षण आवेदन करें

मो. 7772991010 इस WhatsApp No.

या नवभारत प्रेस में जमा करें समय 10 से 5 के बीच में पता- 3 इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स रामगोपाल माहेश्वरी मार्ग जोन 1 एम.पी. नगर भोपाल